संख्या-690/2025/1211/22-2-2024-17(446)/2017

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी तेजपाल पुत्र श्री कबूल, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, (मु0) कारागार के पत्र संख्या-23089/प्रो0अनु0(2)-251/2023/(बैठक दिनांक 07.06.2023), दिनांक 01.08.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी तेजपाल पुत्र श्री कबूल, ग्राम-कडली, थाना-खतौली, जनपद- मुजफ्फरनगर का निवासी है। कृषि भूमि का विवाद न्यायालय में चल रहा था। इसी रंजिश को लेकर दिनांक 03.06.2001 को समय लगभग 07 बजे प्रातः बंदी द्वारा अपने 07 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर व चाकूओं से प्रहार कर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-885/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302/149,148,452 के अन्तर्गत मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-2, जनपद सहारनपुर के आदेश दिनांक 31.03.2004 द्वारा मृत्यु दण्ड की सजा से दण्डित किया गया। बंदी की अपील निर्णीत करते हुए मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 27.05.2005 द्वारा मृत्यु दण्ड की सजा को लघुकृत कर आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित कर दिया गया तथा मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 22.09.2014 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18.05.2023 तक अपरिहार 21 वर्ष, 10 माह, 25 दिन तथा सपरिहार 26 वर्ष, 04 माह, 24 दिन की सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 18.05.2023 तक 55 वर्ष 11 माह 13 दिन है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा अपनी आख्या में अंकन किया गया है कि बंदी द्वारा कारित अपराध से समाज को व्यापक रूप से प्रभावित श्रेणी में नहीं आता है। बंदी के कारागार से रिहा होने पर भविष्य में पुनः अपराध करने का अवसर होने, बंदी शारीरिक रूप से अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है। बंदी के कारागार से रिहा होने पर मृतकों के परिजनो के साथ अप्रिय घटना घटित होने की पूर्ण सम्भवना होने के कारण बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। किमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी० श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा० उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02. 12.2015 के अनुपालन में मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्गत अभिमत दिनांक 24.03.2023 के अन्तर्गत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति स्पष्ट नहीं है।

सलाहकार समिति का अभिमत है कि कृषि भूमि का विवाद न्यायालय में चल रहा था। इसी रंजिश को लेकर दिनांक 03.06.2001 को समय लगभग 07 बजे प्रातः बंदी द्वारा अपने 07 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर व चाकूओं से प्रहार कर 04

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी है। बंदी के कारागार से रिहा होने पर पुनः अपराध कारित करने का अवसर होने, बंदी शारीरिक रूप से अपराध करने में सशक्त होने का उल्लेख जिला मजिस्ट्रेट व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द०प्र०सं० के अन्तगत सिद्धदोष बंदी तेजपाल पुत्र कबूल को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी तेजपाल (बन्दी संख्या-9662) पुत्र श्री कबूल, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-690/2025/1211(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका सं0-336/2019 रशीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 एवं विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के संदर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।